FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत **जिला कलेक्टर मुकाम कोटा**

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लि0 डकनिया तालाब, रेल्वे स्टेशन के पास रोड नंबर 1 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा

बनाम

सहायक निदेशक नगर भूमि एवं भवन कर विभाग, कोटा जरिये आयुक्त नगर निगम कोटा

किस्म मुकद्दमा –अपील विरूद्व आदेश अन्तर्गत धारा 15 बी अण्डर दी आरएलबीटी एक्ट आदेश दिनांक 11.7.2003 सहायक निदेशक नगर भूमि एवं भवन कर विभाग कोटा

प्रकरण **संख्या** 25 **वर्ष 2005**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-05-2022	वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील अपीलान्ट बहस हेतु समय चाहते है । वकील रेस्पोडेन्ट को सुना गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील वर्ष 2005 से इस न्यायालय में विचाराधीन है फिर भी अपीलान्ट का बहस हेतु समय चाहना उचित नहीं है । प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर इसी स्तर पर निर्णय करना उचित समझते है । परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.7.2003 से करदायी संस्था अपीलान्ट के विरूद्व जो कर निर्धारण किया गया है उसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कर निर्धारण किया है वह नियमानुसार किया है वर्तमान कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण में करदायी संस्था कर निर्धारण जमा करावें, यदि कर निर्धारण के संबंध में आपत्ति है तो आयुक्त नगर निगम दक्षिण कोटा के समक्ष पेश करें । आयुक्त नगर निगम एक माह में आपत्ति का निस्तारण कर जमा योग्य राशि पक्षकार को बतावें । उक्तानुसार निर्देशों के साथ प्रकरण आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण को प्रतिप्रेषित किया जाता है । पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो । जिला कलक्टर कोटा	

जिला कलक्टर कोटा